

महोदय

मेरा पहला प्रश्न है --- निश्चित अवधि के कर्मचारियों (परियोजनाओं में संविदा कर्मचारी) के लिए कार्यालय समय अवधि क्या है और यदि वे 8 घंटे से अधिक काम कर रहे हैं (आठ घंटे काम करने के मामले में) तो वे ओवर टाइम के लिए पात्र हैं या नहीं

मेरा दूसरा प्रश्न है --- सप्ताह के दिनों या किसी छुट्टी में काम करने के मामले में क्या एफटीबी क्षतिपूर्ति छूट (सी-ऑफ) के लिए पात्र हैं, यदि हाँ तो रिपोर्टिंग अधिकारी इसे मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं

मेरा तीसरा प्रश्न है --- सर, पीजीसीआईएल सभी कर्मचारियों को साइट पर लाने और छोड़ने के लिए वाहन उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यदि पीजीसीआईएल को एफटीबी के लिए वाहन नहीं मिला, तो हम उन एफटीबी के दावे के लिए पात्र हैं, जिन्हें स्थानीय लोग आश्वस्त करते हैं।

मेरा चौथा प्रश्न है --- मैं जानना चाहता हूं कि पीजीसीआईएल किस पद से कर्मचारियों के लिए निजी वाहन उपलब्ध करा रहा है, यदि कर्मचारी निजी उपयोग के लिए कार्यालय वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो किसे सूचित किया जाए कृपया मेल और संपर्क नंबर प्रदान करें कृपया कार्यालय वाहन के उपयोग को भी परिभाषित करें

मेरा आखिरी प्रश्न है --- अधिकांश नियामक कर्मचारी
एफटीबी के साथ एक श्रमिक की तरह व्यवहार करते हैं
ऐसे में वे किसे सूचना देंगे